न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 155/2023

1. ओम प्रकाश पुत्र मनीराम, जाति कुम्हार, निवासी चक 15 एम. एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. धर्मपाल पुत्र रामचन्द्र, जाति कुम्हार, निवासी चक 15 एम. एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. ब्रजलाल पुत्र शेरा, जाति कुम्हार, निवासी चक 15 एम. एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. राजेन्द्र पुत्र मनीराम, जाति कुम्हार, निवासी चक 15 एम. एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. रामकुमार पुत्र रामचन्द, जाति कुम्हार, निवासी चक 15 एम. एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्य

..... **वादीगण**

बनाम

1. कंचन देवी पुत्री मनीराम, जाति कुम्हार, निवासी चक 15 एम. एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. कविता पुत्री रामकुमार, जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल एन पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. केसर पत्नी रामकुमार, जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल एन पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. काशीराम पुत्र अर्जनराम, जाति कुम्हार, निवासी चक 15 एम. एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. गोपीराम पुत्र लालू, जाति कुम्हार, निवासी चक 15 एम. एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
6. चिमन लाल पुत्र रतीराम, जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल एन पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. धर्मपाल पुत्र रामचन्द्र, जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल एन पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. बहादर पुत्र पन्ना, जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल एन पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
9. मदन लाल पुत्र धर्मपाल, जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल एन पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
10. मनीराम पुत्र लालू, जाति कुम्हार, निवासी चक 15 एम एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
11. मनीशा पुत्री रामकुमार, जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल एन पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

12.मनोहरी देवी पुत्री अर्जनराम पत्नी बनवारी लाल, जाति कुम्हार, निवासी चक 15 एम एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर –– मृतक

12/1 कृष्ण कुमार पुत्र बनवारी लाल,
12/2 इन्द्राज पुत्र बनवारी लाल
12/3 गुड्डी पुत्री बनवारी लाल
12/4 कलावती पुत्री बनवारी लाल
12/5 चन्द्रकला पुत्री बनवारी लाल
} जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

13.मामराज पुत्र प्रहलाद राम, जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

14.रेशमी देवी पत्नी धर्मपाल, जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

15.लाधुराम पुत्र पूरखा राम, जाति कुम्हार, निवासी चक 15 एम एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

16.शुभकरण पुत्र नोरंग लाल, जाति चौहान, निवासी चक 15 एम एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

17.श्यामसुन्दर पुत्र धर्मपाल, जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल एन पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

18.शीशपाल पुत्र मनीराम जाति कुम्हार, निवासी चक 15 एम एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

19.संगीता पुत्री रामकुमार, जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

20.सरोज पुत्री धर्मपाल, जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल एन पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

21.सहीराम पुत्र लालू, जाति कुम्हार, निवासी चक 15 एम एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

22.हजारी राम पुत्र लालू, जाति कुम्हार, निवासी चक 15 एम एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

23.हंसराज पुत्र मनीराम जाति कुम्हार, निवासी चक 15 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

24.स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

– – **प्रतिवादीगण**

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 188 राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–</u>

1. श्री प्रदीप सिहांग अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री गुरप्रीत सिंह — प्रतिवा[illegible] 4, 19, 24
3. पैरोकार राज — प्रतिवादी 24

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5 ता 11, 12/1 ता 12/5, [illegible] ता 18, 20 ता 23 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:26 IST
Reason: SelfAttested

Camp
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 07.03.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादीगण के नाम चक 15 एम. एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 21 / 15 में दर्ज कुल 2.440 हैक्टेयर में से वादी संख्या 1 के नाम 189 / 2440 हिस्सा यानि 0.189 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 के नाम 19 / 244 हिस्सा यानि 0.19 हैक्टेयर, वादी संख्या 3 के नाम 19 / 122 हिस्सा यानि 0.38 हैक्टेयर, वादी संख्या 4 के नाम 19 / 244 हिस्सा यानि 0.19 हैक्टेयर तथा वादी संख्या 5 के नाम 19 / 244 हिस्सा यानि 0.19 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस प्रकार वादीगण के नाम कुल 1.139 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस संयुक्त खाते में शेष कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम भिन्न भिन्न हिस्सो में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित चक 15 एम.एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 21 /15 में दर्ज कुल 2.440 हैक्टेयर भूमि को इस वाद पत्र में आगे " वादाधीन कृषि भूमि" के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सलंग्न वाद पत्र है । उपरोक्त वर्णित वादाधीन कृषि भूमि वादीगण की केवल वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रुप में दर्ज है परन्तु उक्त संयुक्त खाते के समस्त खातेदारो / सह–खातेदारो के द्वारा काफी वर्षो पूर्व वादाधीन कृषि भूमि का कब्जा अनुसार आपसी सहमति स्वरूप मौखिक विभाजन कर लिया गया है तथा कब्जा काश्त भी उसी अनुरुप चली आ रही है। वादीगण के कब्जा काश्त में संयुक्त रुप से मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 21 / 1 की 0.151 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 22 की 0.253 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 23 की 0.253 हैक्टेयर नहरी तथा मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1 / 1 की 0.228 हैक्टेयर नहरी एवं किला नम्बर 2 की 0.253 हैक्टेयर नहरी अर्थात कुल दोनो मुरब्बो की कुल 1.139 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का कब्जा काश्त वादीगण के पास निर्विवाद रूप से संयुक्त रूप से चला आ रहा है जिसे वह कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी है। वादाधीन कृषि भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण वादीगण को काश्त करने, उपयोग–उपभोग करने एंव अन्य कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त वादाधीन कृषि भूमि शहर के नजदीक स्थित होने के कारण भी भूमि अधिक मूल्यवान होने के कारण कब्जा अनुसार विभाजन करवाना अति आवश्यक हो गया है जिससे भविष्य में सहकाश्तकारो के मध्य किला विशेष कब्जा काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न ना हो। इस कारण वादीगण वादाधीन कृषि भूमि में अपने नाम दर्ज हिस्से का विभाजन कब्जा काश्त अनुसार करवाकर व उक्त मुरब्बा विशेष–किला विशेष का अंकन अपने नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा खाता अलग करवाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से वादाधीन कृषि भूमि का अपनी अपनी कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवा खाता उसी अनुरूप पृथक करवा जमाबंदी में दर्ज करवाने हेतू कई बार मौखिक व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण हर बार टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 26.04.2023 को ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का प्राप्त है। वाद पत्र चक 15 एम. एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर [illegible] कृषि भूमि के घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है जो माननीय आदालत के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार में है एंव उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः वाद वादी [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण, विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार आदेशित एवं आज्ञाप्ति किया जावेः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:26 IST
Reason: SelfAttested

Barry/o
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

(क) यह कि इस अमर की प्रारम्भिक डिक्री विभाजन बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण वादाधीन कृषि भूमि वाके चक 15 एम. एल, पटवार हल्का 6 एल. एन. पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 21/15 के मुरब्बा नम्बर 25 की कुल 1.568 हैक्टेयर नहरी, मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 0.759 हैक्टेयर नहरी व 0.050 हैक्टेयर खाला, मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 13 / 2 की कुल 0. 063 हैक्टेयर नहरी अर्थात कुल 2.440 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि के सम्बंध में पारित की जाकर समस्त सहकाश्तकारो के हिस्से वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार निर्धारित किये जावें ।

(ख) यह कि प्रारम्भिक डिक्री पारित किये जाने के पश्चात तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से वादाधीन कृषि भूमि के सम्बन्ध में मौका पर वादीगण के कब्जा काश्त अनुसार अर्थात वादीगण मौके पर चक 15 एम.एल, पटवार हल्का 6 एल. एन. पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 21/1 की 0.151 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 22 की 0.253 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 23 की 0.253 हैक्टेयर नहरी तथा मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1/1 की 0.228 हैक्टेयर नहरी एवं किला नम्बर 2 की 0.253 हैक्टेयर नहरी अर्थात कुल दोनो मुरब्बो की कुल 1.139 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि संयुक्त रूप से दर्ज हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त है, का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर उसी अनुरुप उक्त कृषि भूमि को विभाजन में वादीगण को उनके नाम दर्ज हिस्से अनुसार प्रदान किये जाने की अंतिम डिक्री जारी की जाकर पृथक पृथक लगान निर्धारित किये जावें तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण का खाता पृथक कर अंकन किये जाने हेतु डिक्री पारित की जावे ।

(ग) यह कि इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण को बाद विभाजन प्राप्त किला विशेष की कृषि भूमि में प्रतिवादीगण स्वंय या अन्य किसी की सहायता से वादी की कृषि भूमि में जबरन प्रवेश या मदाखलत न करें ।

(घ) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में उचित समझे, प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 4, 19, 24 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जने के पश्चात् भी जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिवादी संख्या 1, 4, 19, 24 का जवाब दावा बंद किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 4, 19, 24 का जवाब दावा बंद हो चुका है एवं शेष समस्त पक्षकारान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्रस्ताव मंगवाया जाकर प्रकरण का निर्णय किया जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी चक 15 एलएनपी, पटवार हल्का 6 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र चक महाराजका खाता संख्या 21/15 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाता [illegible] है जिसमें वादी अपना खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है। वादी अपना खाता विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जाने पर वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया, तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में जरिए कमांक /भू.अ./1451 दिनांक 07.03.2024 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी द्वारा अनापत्ति जाहिर करते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

क.सं.	खातेदार	रकबा का विवरण
1	वादी संख्या 1 ता 5 का हिस्सा	चक 15 एमएल मुरबा नम्बर 25 किला नं. 21/1(0.151), 22–23(0.506), मुरबा नं. 26 किला नं. 1/1(0.228), 1/2(0.025), 2(.253) कुल 1.163 हैक्टर नहरी मय खाला।
2	प्रतिवादी संख्या 2, 3, 11, 19 का हिस्सा	चक 15 एमएल मुरबा नम्बर 26 किला नं. 10/1(0.228), 10/2(0.025) व 9(0.050) कुल 0.303 हैक. नहरी मय खाला
3	प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 10, 12 ता 18, 20 ता 23 का हिस्सा	चक 15 एमएल मुरबा नम्बर 25 किला नं. 11/1(0.152), 12–13–18(0.759) एवम् मुरबा नम्बर 34 किला नं. 13/2(0.063) कुल 0.974 हैक. नहरी मय खाला

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 07.03.2024 को जारी किया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:27:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner